

Case name

Aruna Shanbaug's Right to Die with Dignity (2011)

Case

अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756 और बाद के नरिणय

Brief Summary

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि देश में नर्षिक्रयि इच्छामृत्यु कानूनी है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएं। अरुणा शानबाग के मामले में, जो 1973 से लगातार वनस्पतऱवस्था में थी, अदालत ने उसकी स्थितिकी जांच करने और एक रर्षिर्त प्रस्तुत करने के लरिए तीन सदस्यीय मेडकिल बोर्ड नयुक्त कयि। रर्षिर्त ने नर्षिकर्ष नकिला कविह एक स्थायी वनस्पतऱवस्था में थी। अदालत ने कहा है कि गरमि के साथ मरने का अधिकार संवधिन के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अभन्नि अंग है। अदालत ने यह भी माना है कि नर्षिक्रयि इच्छामृत्यु भारतीय दंड संहति या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत अपराध नहीं है।

Main Arguments

इस मामले में मुख्य तर्क संवधिन के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और गरमि के साथ मरने के अधिकार के इर्द-गर्दि घूमते थे। यार्किकर्ताओं ने तर्क दयि कि अरुणा शानबाग का वनस्पतऱवस्था में बने रहना उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और उसे शांतसे मरने दयि जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने तर्क दयि कि जीवन के अधिकार में मानव गरमि के साथ जीने का अधिकार और गरमि के साथ मरने का अधिकार शामिल है।

Legal Precedents or Statutes Cited

- अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756-ज्जान सहि बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 303-भारत के संवधिन का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)-भारतीय दंड संहति (आई. पी. सी.)-भारतीय चकित्सा परषिद (एम. सी. आई.) दशिनर्देश (2018)

Quotations from the court

गरमि के साथ मरने का अधिकार भारत के संवधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। - अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756-"नष्टिक्रयि इच्छामृत्यु भारतीय दंड संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत अपराध नहीं है।" - अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756-"यह अंततः अदालत को माता-पति के रूप में यह तय करना है कि एक रोगी के सर्वोत्तम हित में क्या है जो लगातार वनस्पति अवस्था में है, हालांकि करीबी रिश्तेदारों और अगले दोस्तों की इच्छाओं और चिकित्सा व्यवसायियों की राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।" - ज्ञान सहि बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 303

Present Court's Verdict

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नष्टिक्रयि इच्छामृत्यु भारत में कानूनी है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि स्थायी वनस्पति अवस्था में एक रोगी के जीवन समर्थन को वापस लेने का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा माता-पति के संरक्षक के रूप में लिया जाना चाहिए। अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया निर्धारित की है जब किसी अक्षम व्यक्ति के जीवन समर्थन को वापस लेने की अनुमति के लिए करीबी रिश्तेदारों या अगले दोस्तों या डॉक्टरों/अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा आवेदन दायर किया जाता है।

Conclusion

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि देश में नष्टिक्रयि इच्छामृत्यु कानूनी है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि स्थायी वनस्पति अवस्था में एक रोगी के जीवन समर्थन को वापस लेने का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा माता-पति के संरक्षक के रूप में लिया जाना चाहिए। अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया निर्धारित की है जब किसी अक्षम व्यक्ति के जीवन समर्थन को वापस लेने की अनुमति के लिए करीबी रिश्तेदारों या अगले दोस्तों या डॉक्टरों/अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा आवेदन दायर किया जाता है।